

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024—श्रावण 11, शक 1946

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय पटेल पिता रामावतार पटेल, निवासी-122, ग्राम कंचनपुर, पोस्ट दुबेही, तहसील मैहर, जिला मैहर (सतना) मध्यप्रदेश. मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम विजय सिंह पिता रामावतार सिंह माता मालती सिंह लिखा है जो कि गलत है. प्रकाशन उपरान्त समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विजय पटेल पिता रामावतार पटेल माता मालती पटेल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(विजय सिंह)

(VIJAY SINGH)

(G-1564)

नया नाम

(विजय पटेल)

(VIJAY PATEL)

पिता - रामावतार पटेल

(RAMAVATAR PATEL)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सीमा मोतीवाला पति सुभाष चंद्र मोतीवाला निवासी - एम.आई.जी. 15 कॉलोनी, कटंगा, एम. पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सदर बिलहरी, जबलपुर, मध्यप्रदेश. पूर्व में मेरे शेरर सर्टिफिकेट में मेरा नाम

संगीता मोतीवाला लिखा है, जबकि मेरे आधार एवं अन्य दस्तावेजों पर मेरा नाम सीमा मोतीवाला दर्ज है. संगीता मोतीवाला एवं सीमा मोतीवाला दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मेरे शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा मोतीवाला के नाम से जाना-पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(संगीता मोतीवाला)

(G-1565)

नया नाम  
(सीमा मोतीवाला)  
(SEEMA MOTIWALA)  
पति- सुभाष चंद्र मोतीवाला

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम सतीश आ. श्री मोहनलाल एवं अल्का पत्नी श्री सतीश निवासी हरिजन मोहल्ला, लसुडिया महा शाजापुर, मध्यप्रदेश, अपने पुत्र जिसका नाम सार्थक उर्फ कुश है. हम अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर कुश (Kush) कर रहे हैं. अतः भविष्य में हमारे पुत्र को उसके सही नाम कुश (Kush) के नाम से जाना व पहचाना जाये व अंकित किया जावे.

(G-1566)

आवेदक  
(सतीश आ. श्री मोहनलाल)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम सतीश आ. श्री मोहनलाल एवं अल्का पत्नी श्री सतीश निवासी हरिजन मोहल्ला, लसुडिया महा शाजापुर, मध्यप्रदेश, अपने पुत्र जिसका नाम समर्थ उर्फ लव है. हम अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर लव (Love) कर रहे हैं. अतः भविष्य में हमारे पुत्र को उसके सही नाम लव (Love) के नाम से जाना व पहचाना जाये व अंकित किया जावे.

(G-1567)

आवेदक  
(सतीश आ. श्री मोहनलाल)

### नाम परिवर्तन

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय रिकार्ड में नन्द राम के नाम के साथ सरनेम राजोरिया जोड़कर प्रकाशन उपरांत नन्द राम राजोरिया (NAND RAM RAJORIYA) के नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम  
(नन्दराम)  
(G-1568)

नया नाम  
(नन्द राम राजोरिया)

**नाम परिवर्तन**

मैं, लता वाधवानी पत्नी श्री सुरेश वाधवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम वर्षा वाधवानी था जो मेरी बीमा पॉलिसी, शेयर सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे लता वाधवानी के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, वर्षा वाधवानी एवं लता वाधवानी मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी बीमा पॉलिसी, शेयर सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम वर्षा वाधवानी के स्थान पर लता वाधवानी लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम  
(वर्षा वाधवानी)  
(G-1569)

नया नाम  
(लता वाधवानी)  
पता-117, विनय नगर, इंदौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उपकार कौर सलूजा है किन्तु मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र व स्कूल में मेरा घर का बोला जाने वाला नाम शीतल सलूजा लिखा गया है. अतः मेरे व मेरे बच्चों के जिस भी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा घर का नाम शीतल सलूजा लिखा हुआ है उन सभी में मेरा सही नाम उपकार कौर सलूजा ही लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम  
(शीतल सलूजा)  
(G-1570)

नया नाम  
(उपकार कौर सलूजा)  
पता-202, अमितेश नगर, स्कीम नं. 59, इंदौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नलिनी भकने (NALINI BHAKANE) पति जागेश्वर भकने, निवासी-रामपेट, तहसील सौंसर, जिला पांडुरंगा (म.प्र.). मेरा नाम विवाह के पूर्व विजया पुत्री चम्पतराव कालबांडे दर्ज था, विवाह के पश्चात् मेरा नाम नलिनी भकने (NALINI BHAKANE) पत्नी श्री जागेश्वर भकने हो गया जो कि सत्य एवं सही नाम है. प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम नलिनी भकने (NALINI BHAKANE) पत्नी श्री जागेश्वर भकने के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(विजया पुत्री चम्पतराव कालबांडे)  
(G-1571)

नया नाम  
(नलिनी भकने)  
(NALINI BHAKANE)  
पति-जागेश्वर भकने.

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राममिलन यादव पुत्र श्री रामदीन यादव, निवासी - ग्राम-छुल्ला, पोस्ट-रामतौरिया, तहसील-घुवारा, जिला-छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम लक्ष्मीबाई अंकित हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं अंकपत्रों पर उसका सही नाम कृष्णा यादव (KRISHNA YADAV) अंकित है. प्रकाशन उपरांत मेरे शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम कृष्णा यादव (KRISHNA YADAV) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(लक्ष्मीबाई)  
(G-1572)

नया नाम  
(कृष्णा यादव)  
(KRISHNA YADAV)  
पुत्री-राममिलन यादव.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र का नाम जो कि कुछ शासकीय दस्तावेजों में DISHANT RAGHUWANSHI (दिशान्त रघुवंशी) है जबकि मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम JYANSHU RAGHUWANSHI (ज्यांशु रघुवंशी) है जो कि जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है जो कि मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम है। जिस कारण मैं, अपने दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपने पुत्र का नाम DISHANT RAGHUWANSHI (दिशान्त रघुवंशी) के स्थान पर JYANSHU RAGHUWANSHI (ज्यांशु रघुवंशी) करवाना चाहता हूँ, प्रकाशन उपरांत मेरा पुत्र JYANSHU RAGHUWANSHI (ज्यांशु रघुवंशी) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पुराना नाम

(दिशान्त रघुवंशी)  
(DISHANT RAGHUWANSHI)

(G-1573)

नया नाम

(ज्यांशु रघुवंशी)  
(JYANSHU RAGHUWANSHI)

आवेदक

(सजेश रघुवंशी)  
(SAJESH RAGHUWANSHI)

पता—R/O H.No. 06, Nahar Colony,  
Tehsil-Bareilly, Behind Sangeeta Lodge,  
Raisen (M.P.).

### उपनाम परिवर्तन

मैं, विष्णु सिंह थापा ने अपना नाम परिवर्तन कर विष्णु सिंह विश्वकर्मा कर लिया है, अतः अब से मुझे इसी नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(विष्णु सिंह थापा)

(G-1574)

नया नाम

(विष्णु सिंह विश्वकर्मा)  
पता—आई 125/73, 7 नंबर स्टाप,  
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुमारी कनुप्रिया श्रीवास्तव Ms. Kanupriya Shrivastava पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, निवासी-01, शांति निकेतन, नज़दीक बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर (म.प्र.). मैं, अपने समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार कुमारी कनुप्रिया श्रीवास्तव (Ms. Kanupriya Shrivastava) पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे कुमारी कनुप्रिया श्रीवास्तव (Ms. Kanupriya Shrivastava) पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए।

(G-1575)

आवेदिका

(कुमारी कनुप्रिया श्रीवास्तव)  
(Ms. Kanupriya Shrivastava)  
पुत्री श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र अरबीश शफीक को नये नाम मोहम्मद उमर शफीक अंसारी के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं उसके समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय विभागों में, स्कूल कॉलेज में एवं आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य पहचान पत्रों आदि में नया नाम मोहम्मद उमर शफीक अंसारी लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे.

आवेदक

(हिना कौसर)

पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ अहमद जहांगीर खान  
पता-1141, जहांगीर मंजिल, जहांगीराबाद, जबलपुर.

(G-1576)

### नाम परिवर्तन

मैं, रामसिंह उर्फ यादवसिंह (RAMSINGH @ YADAVSINGH) पिता फूलसिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में नाम रामसिंह है, जो मेरे राशन कार्ड में उल्लेखित है तथा मेरे शासकीय दस्तावेज अर्थात् आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम यादवसिंह उल्लेखित है, जबकि मुझे रामसिंह उर्फ यादवसिंह (RAMSINGH @ YADAVSINGH) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. उक्त तीनों नाम रामसिंह, यादवसिंह एवं रामसिंह उर्फ यादवसिंह (RAMSINGH @ YADAVSINGH) मेरे ही नाम हैं, अतः भविष्य में मुझे यादवसिंह पिता फूलसिंह (YADAVSINGH S/O FULSINGH) के नाम से ही जाना, पहचाना एवं लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रामसिंह) एवं (यादवसिंह)

(RAMSINGH) AND (YADAVSINGH)

(G-1577)

नया नाम

(यादवसिंह पिता फूलसिंह)

(YADAVSINGH S/O FULSINGH)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्राची साहू (Prachi Sahu) है और यही नाम मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज व अंकित है. एवं मेरे पुत्री का पूर्व नाम धनवन्ती साहू है जो कि उसके आधार कार्ड पर दर्ज व अंकित हो गया है जो सही होकर उसका वास्तविक नाम प्राची साहू है. प्राची साहू (Prachi Sahu) एवं धनवन्ती साहू दोनों ही नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः मेरी पुत्री को भविष्य में उसके वास्तविक नाम प्राची साहू (Prachi Sahu) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

आवेदक

(रामबाबू साहू)

तर्फ

प्राची साहू पालनकर्ता पिताजी रामबाबू साहू  
पता-12, वार्ड 08, सुभाष मार्ग, नरसिंहगढ़,  
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

(G-1578)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक एवं पूर्ण नाम रामचरण ममार (RAMCHARAN MAMAR) है और यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण में दर्ज/अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड पर मेरा नाम आर.सी ममार (R C MAMAR) दर्ज/अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही पुरुष के होकर मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक एवं पूर्ण नाम रामचरण ममार (RAMCHARAN MAMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम (आर सी ममार) (G-1579)	नया नाम (रामचरण ममार)
--	--------------------------

### नाम परिवर्तन

मैं, अरविंद बरकड़े आ. श्री सुनील बरकड़े, निवासी-एट पोस्ट हनोतिया, तह. जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) मेरी शैक्षणिक दस्तावेज एवं मतदान पहचान-पत्र में मेरा नाम अरविंद बरकड़े दर्ज है जो कि सही है. आधार कार्ड में मेरा नाम अरविन्द बड़कड़े दर्ज हो जो कि गलत है. ये दोनों नाम मेरे ही हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अरविंद बरकड़े (Arvind Barkade) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (Arvind Badkade) (G-1580)	नया नाम (Arvind Barkade)
--	-----------------------------

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनीता लोही पति श्री विजय लोही, निवासी वार्ड नम्बर 4, मुकाम पोस्ट पाडरसिंगा, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) मेरे बेटे यश लोही के शैक्षणिक दस्तावेजों में, अंकसूची में मेरा नाम सोनाली लोही अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम सुनीता लोही है. इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे बेटे यश लोही के शैक्षणिक दस्तावेजों में माता का वास्तविक नाम सुनीता लोही सुधार लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (सोनाली लोही) (G-1581)	नया नाम (सुनीता लोही)
---	--------------------------

### CHANGE OF NAME

I have changed my name from Sivraj Singh Thakur to Shivraj Singh Thakur.

Old Name (Sivraj Singh Thakur) (G-1582)	New Name (Shivraj Singh Thakur) Address-Vill, Badkua, Post-Shyampura Dist. Sagar (M.P.)
---	---

**CHANGE OF NAME**

I, Smt. Radha is Mother of Service Record name Surendra Kumar Kushwaha is serving at 108, INF BN (TA) MAHAR C/o 56, APO Address-109, Ward No.9, Vill. & Post-Bararu, Tehsil & Dist Sagar (M.P.), I have Changed my name from Smt. Radha to Smt. Ghashiti.

**Old Name****(Radha)**

(G-1583)

**New Name****(Ghashiti).****नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवेन्द्र शुक्ला पिता श्री सुनील कुमार शुक्ला, निवासी चंदनगांव, वार्ड नम्बर 34, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) मेरी शैक्षणिक दस्तावेज में मेरी माता तथा पिता का नाम ANITA/SUNIL अंकित है, जबकि मेरे माता पिता का वास्तविक नाम ANITA SHUKLA/SUNIL KUMAR SHUKLA है, इस सूचना प्रकाशन के बाद मेरे माता पिता के नाम को (ANITA SHUKLA/SUNIL KUMAR SHUKLA) सरनेम जोड़ा जावे जो सत्य एवं सही है.

**भवदीय**

(G-1584)

**(शिवेन्द्र शुक्ला)****CHANGE OF NAME**

I, Smt. Durga Bai is Mother of Service Record Sub name Leeladhar Kushwaha Unit 108, INF BN (TA) MAHAR C/o 56, APO Address- Vill. & Post-Bararu, Tehsil & Dist Sagar (M.P.), I have Changed my name from Smt. Durga Bai to Ruprani Kushwaha.

**Old Name****(Smt. Durga Bai)**

(G-1585)

**New Name****(Ruprani Kushwaha).****नाम परिवर्तन**

मैं, अमित बलसारा पिता स्वर्गीय श्री भागीरथ बलसारा, मेरी पुत्री का सही नाम निर्वी बलसारा पिता श्री अमित बलसारा है. मेरी पुत्री निर्वी बलसारा के पूर्व में बने आधार कार्ड में नाम रूही दर्ज कर लिया गया है जो गलत है. अन्य दस्तावेज में उसका नाम निर्वी ही है. अतः भविष्य में सभी उद्देश्यों हेतु मेरी पुत्री का नाम निर्वी बलसारा पिता अमित बलसारा के नाम से जाना-पहचाना जाये.

**भवदीय**

(G-1586)

**(अमित बलसारा)**

पता-34, देवासगेट, मालीपुरा रोड, उज्जैन (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बिटिया का नाम जो कि उसके आधार कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों में दिशानी माटे पिता नितिन माटे है जबकि उसका सही व वास्तविक नाम दिविजा माटे पिता नितिन माटे है. मेरी बिटिया उसके आधार कार्ड में अंकित नहीं है जो कि उसका सही व वास्तविक नाम है. प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपना नाम दिशानी माटे पिता नितिन माटे के स्थान पर दिविजा माटे पिता नितिन माटे लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(नितिन माटे).

(G-1587)

### नाम परिवर्तन

मैं, संजय कुमार पाटीदार पुत्र श्री अम्बाराम पाटीदार, निवासी-म.नं. 24, नवीन दुर्गा नगर, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) हूँ, मेरे पुत्र का नाम शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दक्ष पाटीदार है. व अन्य शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश कुमार पाटीदार है. मेरे पुत्र का नाम दक्ष पाटीदार से सही कर भविष्य में उसका नाम दिव्यांश कुमार पाटीदार के नाम से जाना-पहचाना जायेगा.

आवेदक

(संजय कुमार पाटीदार).

(G-1588)

### नाम परिवर्तन

मैं, सैयद नवेद अली (Syed Naved Ali) पुत्र श्री एस. के. अली (S. K. Ali) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सैयद नवेद अली (Syed Naved Ali) है, जो कि सही है, परंतु कुछ शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम नवेद अली अंकित हो गया है. उक्त दोनों ही नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के नाम हैं, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, इस प्रकाशन के पश्चात् जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम नवेद अली दर्ज है, उसके स्थान पर मेरा नाम "सैयद नवेद अली (Syed Naved Ali) पुत्र श्री एस. के. अली (S. K. Ali)" के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(नवेद अली)  
(Naved Ali)

नया नाम

(सैयद नवेद अली)  
(Syed Naved Ali)  
पुत्र - एस. के. अली  
S/o (S. K. Ali).

(G-1589)

### CHANGE OF NAME

This is to be inform General Public that we have changed the name of our daughter LIBA KHA PANWAR to MISHQAAT KHA PANWAR. Now onward, she will be known by the new name MISHQAAT KHA PANWAR.

**Father : Parvez Kha Panwar**

**Mother : Mrs. Rukhsar Bee.**

Address : 756, New Azad Nagar, Indore.

(G-1590)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरफराज उददीन पटेल पिता सलीम उददीन पटेल निवासी-31, शिमला कॉलोनी, देवास (म.प्र.). मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में Sarfajuddin Patel दर्ज हो गया था जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम Sarfraj Uddin Patel दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम Sarfraj Uddin Patel के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(Sarfajuddin Patel)

नया नाम  
(Sarfraj Uddin Patel)

(G-1591)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरजू पटेल पुत्र श्री जागेश्वर पटेल, निवासी-वार्ड-09, ग्राम-शिवराजपुर, पोस्ट-बड़खेरा, तहसील व जिला-कटनी. मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर उसका नाम त्रुटिवश धमेन्द्र पटेल अंकित हो गया जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र पर उसका सही नाम कपिल पटेल (KAPIL PATEL) पुत्र श्री सरजू पटेल अंकित है. जो कि सत्य एवं सही नाम है, जिसे भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम  
(धमेन्द्र पटेल)

नया नाम  
(कपिल पटेल)  
(KAPIL PATEL)

(G-1592)

पुत्र-श्री सरजू पटेल.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूदल कुमार यादव पुत्र श्री पुलिश यादव, हाल निवासी-21, एयरपोर्ट रोड द्रोणांचल बेस क्वार्टर नं.-263/1 भोपाल, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राजकुमार अंकित हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर उसका नाम ईशान यादव (ISHAN YADAV) पुत्र श्री रूदल कुमार यादव अंकित है जो कि सत्य एवं सही नाम है, जिसे भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम  
(राजकुमार)

नया नाम  
(ईशान यादव)  
(ISHAN YADAV)

(G-1593)

पुत्र-श्री रूदल कुमार यादव.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश जाटव, मेरे पुत्र के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम रूप सिंह (Roop Singh) दर्ज है. अतः अब मेरे द्वारा मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन कर रिषभ जाटव (Rishabh Jatav) दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र रिषभ जाटव (Rishabh Jatav) को सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाये.

(G-1594)

प्रार्थी  
कमलेश जाटव आत्मज-श्री विजय सिंह  
पता-मकान नं.-01, भदभदा मार्ग,  
अमरपुरा, रातीबड़, भोपाल (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

मैं, रामकला पत्नी स्व. श्री रामचरण सिंह, निवासी—बुरानाखेड़ी, सीहोर (म.प्र.). वर्तमान में मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश “पावनी (PAVANI)” अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही व वास्तविक एवं प्रचलित नाम “नगीना (NAGINA)” है जो कि मेरे अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान-पत्र में भी अंकित है. प्रकाशन उपरांत नाम “पावनी (PAVANI)” के स्थान पर वास्तविक नाम नगीना “(NAGINA)” अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(पावनी)  
(PAVANI)

नया नाम

(नगीना)  
(NAGINA).

(G-1595)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, श्रीमती यामिनी पाण्डेय पुत्री श्री अविनाश भार्गव पत्नी श्री प्रख्यात पाण्डेय, निवासी—एफ-85/75, तुलसी नगर, सेकंड स्टॉप, जिला भोपाल (मध्यप्रदेश). मेरा पुत्र जिसका नाम पर्व सक्सेना है, मेरे द्वारा “विधि अनुसार पुनर्विवाह किया गया है, जिसके उपरांत मैं, पाण्डेय सरनेम नाम से जानी जा रही हूँ. अतः मेरे पुत्र पर्व सक्सेना का नाम भी अब सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में पर्व सक्सेना के स्थान पर पर्व पाण्डेय पढ़ा जाये और ये दोनों ही सरनेम नाम मेरे पुत्र के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

भवदीय,

संरक्षिका, यामिनी पाण्डेय  
पत्नी— प्रख्यात पाण्डेय.

(G-1596)

### नाम परिवर्तन

मैं, सचिन सरावगी पिता स्व. श्री सुरेश चन्द्र सरावगी, निवासी—156, जी.व्ही.एम. रेसीडेन्सी, लक्ष्मीपुर, नियर एकता चौक, जीडीए स्कीम — 41, जिला जबलपुर. यह कि मेरी शैक्षणिक अंक-सूची एवं मेरे शासकीय कार्यालय के अभिलेख में मेरा नाम सचिन कुमार सरावगी अंकित है, मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सचिन सरावगी कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में सचिन सरावगी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(सचिन कुमार सरावगी)  
(Sachin Kumar Sarawgi)

नया नाम

(सचिन सरावगी)  
(Sachin Sarawgi).

(G-1597)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स डायनामिक इंटरप्राइजेस, फर्म रजि. नं. 07/37/01/00061/14, पता 65, ग्लोबस टाउनशिप नियर इंद्रलोक नगर, रतलाम के नाम से रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 31 मार्च 2024 को परिवर्तन करते हुए, भागीदारी विलेख के अनुसार भागीदार नं. 1 श्री श्यो प्रसाद मीना पिता श्री गोकुल राम मीना, को सेवानिवृत्त किया गया है एवं शेष 3 भागीदार, भागीदार नं. 2 शिव राम मीना पिता श्री रेवड़ मल मीना, भागीदार नं. 3 सुशीला मीना पति श्री शिव राम मीना एवं भागीदार नं. 4 मनीष मीना पिता श्री शिव राम मीना यथावत रहेंगे.

उपरोक्त संशोधन दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रभावशील रहेगा.

मेसर्स डायनामिक इंटरप्राइजेस  
मनीष मीना पिता श्री शिव राम मीना  
(भागीदार)

(G-1598)

65, ग्लोबस टाउनशिप, नियर इंद्रलोक नगर, रतलाम (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, कुलदीप यादव पिता गोपीलाल यादव, निवासी-167, ग्राम सनगांव, तह. राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.). वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश "चार्वी/चेष्ठा यादव" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम "चेष्ठा यादव" है.

अतः उक्त कारण से मैं, मेरी पुत्री के पूर्व नाम "चार्वी/चेष्ठा यादव" के स्थान पर प्रचलित नाम "चेष्ठा यादव" अंकित कर उक्त नाम से ही जानी एवं पहचानी जाए.

आवेदक

कुलदीप यादव  
पिता-गोपीलाल यादव.

(G-1599)

### नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र तिवारी पिता रामकुमार तिवारी, निवासी-आई-231, क्वार्टर शंकर शाह नगर, रामपुर जबलपुर. मेरे शैक्षणिक एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार तिवारी अंकित है एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम धर्मेन्द्र तिवारी लिखा हुआ है. धर्मेन्द्र कुमार तिवारी एवं धर्मेन्द्र तिवारी दोनों मेरे ही नाम यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे धर्मेन्द्र तिवारी के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जावे.

पुराना नाम

(धर्मेन्द्र कुमार तिवारी)

नया नाम

(धर्मेन्द्र तिवारी)  
पिता-रामकुमार तिवारी.

(G-1600)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म हाईवे सर्विस महू रोड नीमच, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म होकर इस फर्म में इमदादअली पिता गुलामअब्बास एवं राजेन्द्र कुमार पिता राजमलजी डूंगरवाल भागीदार थे. इस फर्म के भागीदार में से इमदादअली पिता गुलामअब्बास दिनांक 01-06-2024 से अलग हो गये हैं तथा उनके स्थान पर तन्मय पिता राजेन्द्रकुमार डूंगरवाल निवासी-9, दशहरा मैदान, नीमच को भागीदार फर्म में इमदादअली के स्थान पर भागीदार बना दिया गया है. अब भागीदारी फर्म हाईवे सर्विस से निवृत्तमान भागीदार इमदादअली का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है. दिनांक 01-06-2024 से फर्म हाईवे सर्विस में राजेन्द्र कुमार पिता राजमलजी डूंगरवाल एवं तन्मय पिता राजेन्द्रकुमार डूंगरवाल भागीदार हो गये हैं. इस फर्म में हुआ संशोधन दिनांक 01-06-2024 से प्रभावशील हो गया है.

मेसर्स हाईवे सर्विस  
राजेन्द्र कुमार  
(भागीदार)

(G-1601)

01, महू रोड, प्रगति नगर के सामने, नीमच.

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आर. आर. डवलपर्स जो प्लॉट नं. 76, खरद सिटी आनन्दपुर ट्रस्ट आईस हॉस्पिटल के पास, मुरैना रोड, गंगा मालनपुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रं. 02/42/01/0101/23, दिनांक 27-8-2023 है. जिसमें दिनांक 24-7-2024 को भागीदार (1) निखिल बाकलीवाल पुत्र अभय बाकलीवाल, निवासी-बाकलीवाला ईमारत, डीडवाना ओली लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.). (2) मनीष शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी-250, रोशनी घर रोड, ग्वालियर (म.प्र.). अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं.

मेसर्स आर.आर. डवलपर्स  
ऋषी राय  
(भागीदार)

(G-1602)

प्लॉट नं. 76, खरद सिटी आनन्दपुर ट्रस्ट,  
आईस हॉस्पिटल के पास, मुरैना रोड, गंगा मालनपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं विशाल धनेरा, निवासी-33, ग्राम जोशी गुराडिया, सिमरोल, इंदौर, (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम सोम्य धनेरा पिता विशाल धनेरा (SOMYA DHANERA S/O VISHAL DHANERA) से बदल कर सौरभ धनेरा पिता विशाल धनेरा (SOURABH DHANERA S/O VISHAL DHANERA) कर दिया है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मेरे पुत्र को सौरभ धनेरा पिता विशाल धनेरा (SOURABH DHANERA S/O VISHAL DHANERA) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम  
(सोम्य धनेरा)  
(SOMYA DHANERA)

नया नाम  
(सौरभ धनेरा पिता विशाल धनेरा)  
(SOURABH DHANERA S/O VISHAL DHANERA).

(G-1603)

### नाम परिवर्तन

मैं, आरूश सिंह सिकरवार (ARUSH SINGH SIKARWAR) पुत्र नरेन्द्र सिंह सिकरवार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम ललित प्रताप सिंह सिकरवार (LALIT PRATAP SINGH SIKARWAR) था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, आरूश सिंह सिकरवार पुत्र नरेन्द्र सिंह सिकरवार के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. ललित प्रताप सिंह सिकरवार एवं आरूश सिंह सिकरवार दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम ललित प्रताप सिंह सिकरवार के स्थान पर मेरा नाम आरूश सिंह सिकरवार लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(ललित प्रताप सिंह सिकरवार)

नया नाम  
(आरूश सिंह सिकरवार)  
पुत्र-नरेन्द्र सिंह सिकरवार  
पता :- गणेश कॉलोनी, चार सहर का नाका, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1604)

### PUBLIC NOTICE

This is to inform to general public that the partnership firm M/s Anushree Buildcon having its registered office at 36, Nayagaon Housing Society, Rampur, Jabalpur, MP 482001 PAN : ABAFA3752G AND ITS FIRM REGISTRATION - 04/14/01/00025/14 DT 13/05/2014 WITH REGISTRAR OF FIRMS WITH ITS ORIGINAL DEED DT 24/03/2014 and its amendment dt 20/09/2021, is having continuing partner namely - Shri Ajay Vishnoi and incoming Partner as Shri Shailendra Jain being Director of M/S Shakti Sugar Mills Pvt Ltd.

That vide amended partnership deed dt 20/09/2021 three partners namely Shri Gopal Krishna Vishnoi, Shri Lucky Khanuja and Shri Anurag Sharma has retired from the firm and firm is continuing with its existing partners namely Shri Ajay Vishnoi and incoming Partner as Shri Shailendra Jain being Director of M/S Shakti Sugar Mills Pvt Ltd.

With effect from 20/09/2021, this is to inform to general public that the firm Anushree Buildcon having its registered office at 36, Nayagaon Housing Society, Rampur, Jabalpur, M.P. 482001 is being operated run and continued by Shri Ajay Vishnoi and incoming Partner as Shri Shailendra Jain being Director of M/S Shakti Sugar Mills Pvt. Ltd. and are authorized to deal with various statutory authorities for registration and contract purpose.

Further the registered office is hereby being shifted to new address as - 129, YADAV MOHALLA, JAWAHAR WARD, GADARWARA, NARSINGHPUR M.P.-487551.

**FOR-Anushree Buildcon**

**(Shailendra Jain)**

**(Ajay Vishnoi)**

**(Partners).**

(G-1605)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिद्धिमा द्विवेदी है। त्रुटिवश मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी में मेरा नाम रिमी द्विवेदी अंकित हो गया है, जो गलत है। मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम रिद्धिमा द्विवेदी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सही नाम रिद्धिमा द्विवेदी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं समझा जावे।

पुराना नाम  
(रिमी द्विवेदी)  
(G-1606)

नया नाम  
(रिद्धिमा द्विवेदी)  
पता - ई एन-2/7, चार ईमली, भोपाल

### नाम परिवर्तन

मैं, सरोज रघुवंशी (SAROJ RAGHUWANSHI) W/O. पूरन सिंह रघुवंशी (POORAN SINGH RAGHUWANSHI) R/O. मकान नं. 55, बिघर्रा, पोस्ट-बीकलपुर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा सरोज बाई रघुवंशी (SAROJ BAI RAGHUWANSHI) एवं केसर बाई (KESAR BAI) दर्ज है। सरोज बाई रघुवंशी (SAROJ BAI RAGHUWANSHI) एवं केसर बाई (KESAR BAI) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम - सरोज रघुवंशी (SAROJ RAGHUWANSHI) W/O. पूरन सिंह रघुवंशी (POORAN SINGH RAGHUWANSHI) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम  
(सरोज बाई रघुवंशी)  
(SAROJ BAI RAGHUWANSHI)  
एवं केसर बाई  
(KESAR BAI)  
(G-1607)

नया नाम  
(सरोज रघुवंशी)  
(SAROJ RAGHUWANSHI)

### नाम परिवर्तन

मैं, अंशिका श्रीवास (Anshika Shriwas), सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अंशिका श्रीवास (Anshika Shriwas) अंकित है, जो कि सही है। परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम अंशिका (Anshika) अंकित हो गया है। जो कि गलत है, इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों अंशिका श्रीवास (Anshika Shriwas) के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम  
(अंशिका)  
(Anshika)  
(G-1608)

नया नाम  
(अंशिका श्रीवास)  
(Anshika Shriwas)  
Add.-2073, Phoenix township, Kelod hala,  
Indore (M.P.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, आयुष शर्मा दत्तक पुत्र श्री रुपेश शर्मा पूर्व में आयुष करमरकर पिता स्वर्गीय श्री मोहन करमरकर यह कि मेरी माता श्रीमती सविता करमरकर द्वारा मेरे वर्तमान पिता दत्तक गृहीता श्री रुपेश शर्मा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया संपन्न कराकर मुझे (चि. आयुष) को पुत्र स्वरूप श्री रुपेश शर्मा को प्रदान किया गया है. जिसके उपरांत से मेरा नाम आयुष करमरकर पिता स्वर्गीय श्री मोहन करमरकर से बदल कर आयुष शर्मा दत्तक पुत्र श्री रुपेश शर्मा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी दस्तावेजों में आयुष शर्मा दत्तक पुत्र श्री रुपेश के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा और पुकारा जाए.

## पुराना नाम

(आयुष करमरकर)  
पिता स्वर्गीय श्री मोहन करमरकर  
(Ayush Karmarkar  
S/o. Late Shree Mohan Karmarkar)

(G-1609)

## नया नाम

(आयुष शर्मा)  
दत्तक गृहीता की रुपेश शर्मा  
(Ayush Sharma Adopted  
Son of Shree Rupesh Sharma).  
निवासी-83-A 7TH, क्रॉस रोड, संपत फर्म्स,  
इंदौर, मध्यप्रदेश.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में गलती से **Fyzal** एवं **Fyzal Ali** और मेरी माता जी का नाम **Navroz** दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम **Fyzal Hasam Ali devani** और मेरी माताजी का सही नाम **Navaroz Hasam Ali Devani** है. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम **Fyzal Hasam Ali devani** और मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरी माताजी का सही नाम **Navaroz Hasam Ali devani** के नाम से जाना और पहचाना जाए.

## पुराना नाम

(Fyzal एवं Fyzal Ali)  
(G-1610)

## नया नाम

(Fyzal Hasam Ali devani)

## नाम परिवर्तन

मैं, रामलखन दास (RAMLAKHAN DAS) पुत्र वृन्दावन दास, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रामकुमार शुक्ला (RAMKUMAR SHUKLA) पुत्र श्री सालिगराम शुक्ला था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, रामलखन दास पुत्र वृन्दावन दास के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, रामकुमार शुक्ला एवं रामलखन दास दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम रामकुमार शुक्ला पुत्र श्री सालिगराम शुक्ला के स्थान पर मेरा नाम रामलखन दास पुत्र वृन्दावन दास लिखा एवं पढ़ा जावे.

## पुराना नाम

(रामकुमार शुक्ला पुत्र श्री सालिगराम शुक्ला)  
(G-1611)

## नया नाम

(रामलखन दास पुत्र वृन्दावन दास)  
पता - नागाजी मंदिर नागाजी धाम,  
तह. पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गीता बंसल पुत्री धर्मेन्द्र बंसल था. अब मेरा नाम बदलकर गीता बंसल से आयशा खान हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाय.

पुराना नाम  
(गीता बंसल)

नया नाम  
(आयशा खान)

पुत्री श्री धर्मेन्द्र बंसल.  
निवासी-242, ओल्ड अशोका गार्डन,  
रायसेन रोड, भोपाल.

(G-1612)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम त्रिलोकीनाथ चौधरी है. मेरे आधार कार्ड में त्रिलोकी नाथ चौधरी लिखा है, जबकि मेरी पुत्री कुमारी डिम्पल सिंह चौधरी के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम त्रिलोकीनाथ चौधरी लिखा है. आधार कार्ड में अपने नाम में सुधार कर त्रिलोकीनाथ चौधरी लिखा और पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(त्रिलोकी नाथ चौधरी)

नया नाम  
(त्रिलोकीनाथ चौधरी)

पता- सूबेदार वार्ड, सागर (म.प्र.).

(G-1613)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स विकास ट्रेडर्स जो सावित्री कॉम्प्लेक्स, जीवजी चौक, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00088/10, दिनांक 26 जून 2010 है. जिसमें दिनांक 9-2-2024 को विकास गुप्ता की मृत्यु हो जाने के कारण सभी भागीदारों की सहमति से फर्म से पृथक् किया जाता है एवं इसी दिनांक से नविता गुप्ता पत्नी स्व. श्री विकास गुप्ता एवं करन कुमार गोलाश पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोलाश को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है.

फर्म विकास ट्रेडर्स  
विकास भटनागर  
(भागीदार)

पता - सावित्री कॉम्प्लेक्स, जीवजी चौक,  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1614)

## विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र,  
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

क्र. 4943/रीडर-1/2024

जूनी इंदौर, दिनांक 11 जुलाई 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व  
मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक चैरिटेबल सोसायटी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एण्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पता-ई-48, बक्तावर राम नगर, इंदौर (म.प्र.) की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में, न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

चैरिटेबल सोसायटी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एण्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पता-ई-48, बक्तावर  
राम नगर, इंदौर (म.प्र.)

अचल संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति :- 2,00,000/-

आज दिनांक ..... 2024

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1615)

क्र. 4224/रीडर-1/2024

जूनी इंदौर, दिनांक ..... जुलाई 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व  
मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री शांतिनाथ श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, पता-15/2, ओल्ड पालासिया, इंदौर (म.प्र.) की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में, न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत

मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

**श्री शांतिनाथ श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, पता-15/2, ओल्ड पालासिया, इंदौर (म.प्र.)**

अचल संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति :- 1,00,000/-

आज दिनांक / /2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1616)

क्र. 4604/रीडर-1/2024

जूनी इंदौर, दिनांक 2 जुलाई 2024

**(फार्म चार)**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व  
मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री जी पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-34, श्री कुंज शांति नगर, श्री नगर एक्सटेंशन, इंदौर (म.प्र.) की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में, न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

**श्री जी पारमार्थिक ट्रस्ट पता - 34, श्री कुंज शांति नगर, श्री नगर एक्सटेंशन, इंदौर (म.प्र.)**

अचल संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति :- 1,00,000/-

आज दिनांक / /2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1617)

घनश्याम धनगर, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट कटंगी,  
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश

क्र.-804-अ.वि.अ.-प्रस्तु-1-2024

कटंगी, दिनांक 12 जुलाई 2024

(फार्म चार)

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

आवेदिका कुमारी संजू पिता मंगलदास, जाति महार, निवासी-वार्ड नंबर 14, तपोवन हथोड़ा, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा "तपस्वी आर्या ममता माताजी ट्रस्ट तपोवन, ग्राम हतोड़ा तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट" को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में दिनांक 30-7-2024 को समय 12:00 बजे इस न्यायालय में सुनवाई की जावेगी. जिस किसी व्यक्ति को उक्त न्यास या सम्पत्ति के प्रति रुचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 30-7-2024 को स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर अपना दावा अथवा आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत तिथि उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा :-

पब्लिक ट्रस्ट का नाम,पता

1. ट्रस्ट का नाम एवं पता :- तपस्वी आर्या ममता माताजी ट्रस्ट तपोवन, ग्राम हतोड़ा, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट

जारी दिनांक :- 12-7-2024

सुनवाई दिनांक :- 30-7-2024

स्थान :- न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटंगी, जिला बालाघाट

(G-1618)

क्र.-821-अ.वि.अ.-प्रस्तु-1-2024

कटंगी, दिनांक 18 जुलाई 2024

रा.प्र.क्र.-0001-बी-113- 2024-2025

(फार्म चार)

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (2) के तहत]

आवेदक सुरेश अग्रवाल पिता श्री बनवारीलाल अग्रवाल, निवासी-वार्ड नं. 14, गांधी चौक, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा "मां शीतला बालाजी मंदिर कटंगी के नाम से वार्ड क्रमांक 12 एवं 13, छतेरा रोड कटंगी, जिला बालाघाट" को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में दिनांक 30-7-2024 को समय 12:00 बजे इस न्यायालय में सुनवाई की जावेगी. जिस किसी व्यक्ति को उक्त न्यास या सम्पत्ति के प्रति रुचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 30-7-2024 को स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के द्वारा

उपस्थित होकर अपना दावा अथवा आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत तिथि उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा :-

**पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता**

1. ट्रस्ट का नाम एवं पता :- मां शीतला बालाजी मंदिर कटंगी के नाम से वार्ड क्रमांक 12 एवं 13, छतेरा रोड कटंगी, जिला बालाघाट.

जारी दिनांक :- 15-7-2024

सुनवाई दिनांक :- 30-7-2024

स्थान :- न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटंगी, जिला बालाघाट

(G-1619)

मधुवंतराव धुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, लोक न्यास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**

**तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

क्र. 741/रीडर-1/2024-25

महिदपुर, दिनांक 12 जुलाई 2024

प्र.क्र.-0001-बी-113(1)- 2024-25

**प्ररूप-पाँच**

**[नियम 5(1) देखिये]**

**[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के देखिए]**

पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के समक्ष क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः, मैं, अजय हिंगे, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 8-7-2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव या प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो, व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा :-

**अनुसूची**

**(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)**

1. लोक न्यास का नाम :- श्री शांतिनाथजी जैन मंदिर जिर्णोद्धार ट्रस्ट, महिदपुर.
2. पता :- नगरपालिका, मकान नं. 27, वार्ड नं. 11, मोहल्ला जवाहर गली नं. 2, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.).

जंगम संपत्ति :-	विवरण	मूल्य
	नगद राशि	रु. 11,111
स्थावर संपत्ति :-	श्री शांतिनाथजी जैन मंदिर, नगरपालिका मकान नं. 27, वार्ड नं. 11, मोहल्ला जवाहर गली नं. 2, महिदपुर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश.	

(G-1620)

अजय हिंगे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 1440

रांझी, दिनांक 18 जुलाई 2024

रा.प्र.क्र.-0001-बी-113(1)- 2024-2025

प्रारूप - चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत.]

आवेदक श्री सुरेन्द्र राठौर पिता स्व. श्री मुन्नी लाल राठौर निवासी- म.नं. 251,ए, प्लॉट नं. 100-101, महाराष्ट्र बैंक के सामने, संजीवनी नगर, गढ़ा जबलपुर व अन्य 9 के द्वारा आवेदन-पत्र वास्ते मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत "श्री गजानन-महावीर सेवा न्यास" जबलपुर मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-8-2024 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

- 1 लोक न्यास का नाम :- " श्री गजानन-महावीर सेवा न्यास" जबलपुर मध्यप्रदेश.
- 2 चल संपत्ति :- 11000 मात्र
- 3 न्यास की संपत्ति :- नजूल ब्लॉक नं. 83, प्लॉट नं. 7, मालवीय चौक, पं. भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड

(G-1621)

रघुवीर सिंह मरावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पन्ना मध्यप्रदेश

क्र. 3252/रीडर/2024

पन्ना, दिनांक 22 जुलाई 2024

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)  
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोकन्यासों के पंजीयन पन्ना जिला के समक्ष

यतः कि अब्दुल रऊफ पिता बाबू खान उम्र 40 वर्ष, निवासी बीड़ी कालोनी, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचन-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 19 ..... के ..... 30 ..... दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पन्ना, जिला पन्ना का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16 मई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो, व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :-

## अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :- आलिया एजूकेशन ट्रस्ट, पन्ना (म.प्र.), रानीबाग वार्ड नं. 26, बीड़ी कालोनी,  
पुराना पन्ना, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.).

संपत्ति का विवरण :- बैंक में जमा रूपये - 9900/- अचल संपत्ति - निरंक

(G-1622)

क्र. 3253/रीडर/2024

प्ररूप क्र. 4

[देखें नियम 5(1) ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)  
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोकन्यासों के पंजीयक पन्ना जिला के समक्ष

यतः, कि प्रदीप कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नत्थू लाल जैन, निवासी देवेन्द्रनगर तहसील देवेन्द्रनगर, ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के

रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 19 ..... के ..... 30 ..... दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पन्ना, जिला पन्ना का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 7 मई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो, व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :-

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :- श्री 1008 चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, वार्ड क्रमांक 08,  
दिगम्बर जैन मंदिर के पास, देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म.प्र.).

संपत्ति का विवरण :- बैंक में जमा रुपये - 12,000/- अचल संपत्ति - निरंक

(G-1623)

संजय कुमार नागवंशी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, रतलाम ग्रामीण मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-01-बी-113(1)- 2023-24

क्र. 622-आर-1-2024

रतलाम, दिनांक 18 जुलाई 2024

### [फार्म-4 नियम 5(1) देखिये]

### [मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4(2) के तहत]

न्यासी सचिव व अधिकृत आवेदक श्री ऊंकारलाल पिता चुन्नीलालजी जैन, निवासी-408, काटजू नगर, रतलाम. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत "रत्न त्रयम लोकन्यास," सर्वे नं. 483/1/1,483/1/2, ग्राम रेन, तहसील-रतलाम ग्रामीण, जिला रतलाम के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 6 अगस्त 2024 को की जावेगी.

2. अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 6 अगस्त 2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :-

### पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यासी का पूरा नाम :- सचिव व अधिकृत आवेदक श्री ऊंकारलाल पिता चुन्नीलालजी जैन,  
निवासी-408, काटजू नगर, रतलाम.

अचल सम्पत्ति :- सर्वे नं. 483/1/1, रकबा 0.210 हे. में से रकबा 0.200 हे. तथा  
सर्वे नं. 483/1/2, रकबा 0.420 हे. में से रकबा 0.400 हे.

चल सम्पत्ति :- रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र).

(G-1624)

विवेक सोनकर, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर) मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-006-बी-113(1)- 2023-24

क्र. 1518-आर-1-2024

रतलाम, दिनांक 19 जुलाई 2024

[फार्म-4 नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट 1951 की धारा 4(2) के तहत]

आवेदक नवयुवक रामायण शिक्षण मण्डल ट्रस्ट, ग्राम मांगरोल, तह. व जिला रतलाम द्वारा अध्यक्ष श्री धनसिंह पिता रणसिंह पंवार व अन्य निवासी रतलाम की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के नियम 2 के अन्तर्गत “नवयुवक रामायण शिक्षण मण्डल ट्रस्ट,” ग्राम मांगरोल, जिला रतलाम (म.प्र.) के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 5 अगस्त 2024 को की जावेगी :-

2. अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 5 अगस्त 2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :-

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	:-	“नवयुवक रामायण शिक्षण मण्डल ट्रस्ट,” पता - ग्राम मांगरोल, तह. व जिला रतलाम
अचल सम्पत्ति	:-	निरंक
चल सम्पत्ति	:-	नगद राशि 11,000/- एक्टोपेट 45,000/- हारमोनियम-2- 15,000/- ढोलक 7,000/- तबला - दो जोड़ 10,000/- आर्गन 18,000/- अन्य उपकरण 5,000/-

(G-1625)

अनिल भाना, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र./परि/2023/क्यु.

शाजापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किलोदा	1380/15-07-2020	1712/14-08-2023
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दिल्लीद	1004/14-09-2009	1711/14-08-2023
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माल्याहेडी	996/13-2-2009	1710/14-08-2023
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अवंतिपुरा	1375/22-5-2020	1709/14-08-2023
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अदलीमखेडी	991/13-2-2009	1708/14-08-2023
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी	913/11-7-1989	1707/14-08-2023
7	केशव माधव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., मक्सी	927/10-1-2006	1719/14-08-2023
8	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मो. बडोदिया	626/7-4-1991	1717/14-08-2023
9	आदर्श कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., शाजापुर	682/31-3-1997	1718/14-08-2023

अतः मैं, नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वसनि, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

क्र. -परि-2023-क्यु

शाजापुर, दिनांक 26 जून 2023

### (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. तिलावद गोविंद	1276/29-6-2018	1385/26-06-2023
2	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मताना	1268/27-6-2018	1387/26-06-2023
3	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बुरलाय	1272/27-6-2018	1386/26-06-2023
4	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बिजनाखेडी	1267/27-6-2018	1388/26-06-2023

अतः, मैं, नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वसनि, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-1626)

नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वसनि.

क्र. -परि-2024-क्यु

शाजापुर, दिनांक 27 मई 2024

## (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. पिपल्यागोपाल	1320/5-7-2018	942/22-7-2020
2	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. छाजन	1329/11-7-2018	942/22-7-2020
3	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. भालूखेडा	1319/5-7-2018	942/22-7-2020
4	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. मोरटा	1299/30-6-2018	942/22-7-2020
5	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. छापीहेडा	1292/30-6-2018	942/22-7-2020
6	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. देवलाबिहार	1262/15-6-2018	942/22-7-2020
7	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. बरवाल	1279/29-6-2018	942/22-7-2020

अतः, मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-1627)

गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

क्र. -परि-2024-क्यु

**(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)**

उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरटा केवडी	151/2-5-80	357/27-2-2023
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोलाई	1246/17-1-2018	349/27-2-2023
3	पं. दीनदयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसावद	1336/22-11-2018	348/27-2-2023
4	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या. हिरपुरबज्जा	1352/3-12-2018	358/27-2-2023
5	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., मखावद	1283/30-6-2018	347/27-2-2023
6	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., टण्डा देवास	1351/3-12-2018	350/27-2-2023
7	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., तिंजपुर	1338/6-7-2018	1397/26-6-2023
8	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., रिजावदा	1339/6-7-2018	1395/26-6-2023
9	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., सेतखेडी	115945/21-6-2022	1394/26-6-2023
10	प्राथमिक महिला आजी. बहुप्रयोजन सह.संस्था मर्या., सुन्दरसी	117045/5-9-2022	1393/26-6-2023
11	अंबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उगली	1128/17-11-2014	1737/14-8-2023
12	जय भीम उन्नत पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., तिलावद मैना	1236/22-2-2017	1736/14-8-2023
13	रूपाली महिला प्राथमिक उप. भंडार मर्या., शाजापुर	685/6-12-1997	1735/14-8-2023
14	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावद मैना	102/2-6-1976	1662/14-8-2023
15	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कादीखेडी	1035/21-10-2010	1668/14-8-2023
16	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुगलाय	1049/20-07-2011	1669/14-8-2023
17	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडलिया	104/19-06-1976	1671/14-8-2023
18	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनन्दीखेडी	1060/31-03-2012	1670/14-8-2023
19	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालापपीपल	107/22-06-1976	1667/14-8-2023

अतः, मैं, राजेन्द्रसिंह रघुवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचन-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1628)

राजेन्द्रसिंह रघुवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

क्र. -परि-2024-क्यु

शाजापुर, दिनांक 10 जून 2024

## (मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गठानपुरा	853/17-1-23	1647/14-8-2023
2	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., धीनका	1322/5-7-18	1648/14-8-2023
3	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालापीपल	1099/12-9-14	1666/14-8-2023
4	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कुम्हारियाखास	1321/5-7-18	1640/14-8-2023
5	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., किठोर	1325/15-7-18	1649/14-8-2023
6	श्री श्वेताम्बर जैन क्रेडिट को-आपरेटिव लिमिटेड सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर.	850/4-1-23	1733/14-8-2023
7	शिव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पोलायखुर्द	1083/10-6-13	1732/14-8-2023
8	विद्युत् कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., शाजापुर	572/6-3-91	1734/14-8-2023

अतः, मैं, राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1629)

राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024—श्रावण 11, शक 1946

**भाग 3 ( 2 )**

**सांख्यिकी सूचनाएँ**

(कुछ नहीं)